Statement

Names and Designation of the representatives of the Central Government and State Governments attended the meetings of the Council for the Indian School Certificate Examinations held in 1990-91, 1991-92 and 1992-93.

1990-91

- 1. Sh. S. Gopal, Secretary, Central Board of Secondary Education (CBSE).
- 2. Dr. G. L. Aroru, Reader, National Council of Educational Re search & Training (NCERT).
- 3. Sh. S. C. Gupta, Controllet of Examinations, CBSE.
 - 4. Dr. H. S. Srivastava, NCERT.
- 5. Shri D. Ghosh, Director, School Education. West Bengal.
- 6. Shri M. D. Saxena, Associate Inspecter of Anglo *Indian School*. Uttar Pradesh.
- 7. Dr. A. K. Das. Joint Director. School Education West Bengal.
- 8. Shri J. R. Verma, Inspector. Anglo Indian Schools. Uttar Pradesh.

1991-92

- 1. Smt. S- Salvai, Deputy Director, School Education, Delhi Admn.
- 2. Dr. Atma Ram. Director of Education, Himachal Pradesh.
- 3. Dr. A. K. Das, Joint Director of school Education, West Bengal.
- 4. Shri R. R. Pardeshi, Deputy Director, Education, Bombay.

1992-93

- 1. Dr. K. J. s. Chatrath, secretary, NCERT.
- 2. Shri S. Gopal, Secretary, CBSE.

- 3. Dr. A. K. Sharma, Joint Director, NCERT.
- 4. Dr. D. Ghosh, Director of School Education, West Bengal.
- 5. DR. A. K. Das, Joint Director

विल्ली में अबैध निर्माण

- 1791 प्रो० विजय कूमार मस्होता: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि दिल्ली में खाली पड़ी भूमि पर वैध श्रीर श्रवैध निर्माण श्रत्यन्त तेजी से हो रहा है श्रीर इसमें से अधिकांश निर्माण उस भूमि पर हो रहा है जो मांस्कृतिक संपदा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है;
- (ख) क्या सरकार सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे मारे क्षेत्र का ग्रिधग्रहण करने और ग्रिधमोक्ताओं को वैकल्पिक स्थान देकर ऐसी ग्रिधिगृहीत भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने का बिचार रखनी हैं। और
- (ग) क्या सरकार पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्खनन कार्य शीझ श्रारंभ करने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विमाग) में उपमंत्री (कुमारी संलजा): (क) जी: हो।

- (ख) जी, नहीं । जैसे ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भूमि पर अतिक्रमण संग्री रिक्षोट प्राप्त होती हैं, भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण "प्राचीन संस्मारक तथा पुरात्तवीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958" तथा "प्राचीन संस्मारक तथा पुरात्तवीय स्थल और अवशेष नियम, 1959" के अनुसार इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए स्थानीय पुलिस में तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों को शिकायतें दर्ज कराता है।
- (ग) जी, नहीं । सरकार केवल विशिष्ट ऐतिहासिक अथवा पुरातत्वीय समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी स्थल पर उत्खनन-कार्य करती है।

of School Education, West Bengal.